

विधान सभा सचिवालय  
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
शुक्रवार, 28 अप्रैल, 2023/08 वैशाख, 1945 (शक)

संख्या-116

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष को संबोधित निम्नलिखित संदेश दिनांक 20.04.2023 को पुलिस उपायुक्त, केन्द्रीय जिला, दिल्ली से प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65(i) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देना अपना कर्तव्य पाया है कि श्री प्रवीन कुमार (जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र नई दिल्ली के वर्तमान विधायक), श्री विशेष रवि (करोल बाग विधान सभा क्षेत्र नई दिल्ली के वर्तमान विधायक) और श्री शिव चरण गोयल (मोतीनगर विधान सभा क्षेत्र नई दिल्ली के वर्तमान विधायक) जिन्होंने क्रमशः आई.टी.ओ चौक नई दिल्ली और करोल बाग हनुमान मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन किया और आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को तलब किये जाने के विरोध में वहाँ ट्रैफिक बाधित करने की भी कोशिश की।

आई.टी.ओ चौक और हनुमान मूर्ति करोल बाग में कानून और व्यवस्था बनाये रखने और यातायात के नियमन के लिए उपरोक्त विधायकों को स्वयं को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65(i) के प्रावधानों के अनुसार उचित निर्देश दिये गए थे, लेकिन उन्होंने संबंधित एस.एच.ओ के निर्देशों को मानने की अपेक्षा विरोध किया। सभा को सूचित किया गया और चेतावनी दी गई किन्तु उन्होंने तितर-बितर होने से इंकार कर दिया। इसलिए उपरोक्त सभी विधायकों और उनके समर्थकों को 16.04.2023 को हिरासत में लेना पड़ा और एनआईए पुलिस थाना, बाहरी उत्तर जिला में हिरासत के लिए भेजा गया और बाद में रिहा कर दिया गया। उन्हें 26 समर्थकों के साथ दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65(ii) के अंतर्गत आईटीओ चौक नई दिल्ली और हनुमान मूर्ति से हटा दिया गया।”

राज कुमार  
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)

**Friday, 28 April, 2023/08 Vaishakh, 1945 (Shaka)**

**No. 116**

**DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

Hon'ble Members are hereby informed that following message, addressed to Hon'ble Speaker has been received on 20.04.2023 from Deputy Commissioner of Police, Central District, Delhi :-

"I have the honor to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers conferred under section 65(i) of The Delhi Police Act, 1978 to direct the MLAs Sh. Parveen Kumar (sitting MLA Jangpura Constituency, New Delhi), Sh. Vishesh Ravi (sitting MLA Karol Bagh Constituency, New Delhi) and Sh. Shiv Charan Goyal (sitting MLA Moti Nagar Constituency, New Delhi), who staged protest at ITO Chowk, New Delhi and near Hanuman Murti Karol Bagh respectively and even tried to disrupt traffic there against the summoning of CM Delhi on 16.04.2023 by CBI in the Excise case.

In order to maintain law & order and regulation of traffic at ITO Chowk and Hanuman Murti, Karol Bagh the above mentioned MLAs were given reasonable directions to remove themselves as per the provisions of Section 65(i) of The Delhi Police Act, 1978 but instead of following the directions of SHOs concerned they resisted. The gathering was informed and warned but they refused to disperse. As such all the above mentioned MLAs and their supporters had to be detained on 16.04.23 and sent to NIA Police Station, Outer North for detention and subsequently released. They were removed from ITO Chowk, New Delhi and Hanuman Murti u/s 65 (ii) of The Delhi Police Act, 1978 along with their 26 supporters."

**Raj Kumar  
Secretary**